

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2318

दिनांक 26/07/24

प्रार्थीगण:-

1.राणाराम पुत्र जोधाराम 2.सांवलाराम पुत्र
दीपाराम, जाति कलबी, निवासी डूगरवा,
तहसील बागोड़ा, जिला जालोर
3.अलीखान पुत्र मोसन खान, जाति मुसलमान,
निवासी बुरहान का तला, तहसील धनाऊ

विप्रार्थीगण:-

1.उसमान पुत्र वली मोहमद 2.मुराद 3.मुरीद
4.हनीफ पि. ईस्माइल, जाति मुसलमान,
निवासी तालसर, तहसील धनाऊ
5.तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 27/2024

दिनांक : 26.07.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र तालसर के मौजा तालसर के खेत खसरा सं. 622/193 रकबा 08.0937 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है |
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2319 to 22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी राणाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण उसमान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 26/07/24

(सूरजभद्रा सिंघाण) (सू.अ.सू.सू.सू.)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन